न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 176/2020
3. उनवान : सरकार जरिये बालशंकर शर्मा प्रवर्तन अधिकारी
   बनाम
   श्री शिवजी सिंह उर्फ श्योजी पुत्र श्री दयाल सिंह निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 13-06-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर श्री बालशंकर शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, मौके नक्शा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी शिवजी सिंह के निवास पर दिनांक 14.11.2018 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 12 एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 16.03.2009 को अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के अन्तरिम निस्तारण के आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी जयपुर ने उक्त 12 सिलेण्डर, एचपीसी के बिक्री प्रबंधक को दिनांक 26.03.2009 को सौंपे। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा 23.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया है इसलिये अधिगृहीत गैस सिलेण्डर्स को वापस लौटायें। तत्पश्चात लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 13-06-2022 को आदेश हेतु रखी गई। प्रकरण में दर्ज एफआईआर में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर ने अपने निर्णय में अभियुक्त शिवजी सिंह उर्फ श्याजी को धारा 3 सपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त घोषित कर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

दिया साथ ही जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिया कि जब्त 12 खाली सिलेण्डरों का स्वामित्व शिवजी सिंह का है इसलिये उक्त सिलेण्डर्स को अपने खर्चे पर इस प्रकरण में आरोपी शिवजी सिंह को लौटाये। किन्तु अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा को निर्णय की हस्ताक्षरित व प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिससे उक्त आदेश पुष्ट नहीं होता है।

हम पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, मूल पत्रावली तथा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश का अवलोकन एवं मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.11.2008 को अप्रार्थी के निवास स्थान पर जांच कार्यवाही कर कुल 12 खाली घरेलू सिलेण्डर जब्त किये गये। मौक पर अप्रार्थी ने उक्त सिलेण्डर को अपने कब्जे में रखने बाबत कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया। कार्यवाही के दौरान शिवजी सिंह मौके से फरार हो गया था। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा उच्चतर न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित किया जाना अवगत कराया गया है किन्तु निर्णय की प्रमाणित और हस्ताक्षरित प्रति आदिनांक तक पेश नहीं की गई है तथा अब अप्रार्थी विचाराधीन मामले में अनुपस्थित है तथा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये हैं।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 14.11.2018 को कार्यवाही के दौरान जब्त 12 एचपीसी के घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। साथ ही जिला रसद अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रकरण में संबंधित उच्चतर न्यायालय से प्रमाणित व हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त हुई है, तो तदानुसार कार्यवाही करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।